न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 14/2025 राजस्व अपील

1. उम्मेद मीना पुत्र श्री किशनलाल मीना जाति मीना निवासी ग्राम निकटपुरी तहसील महवा जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार सिकराय जिला दौसा दिनांक 02.12.2024 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम उम्मेद प्रकरण संख्या 79/2024 अन्तर्गत धारा 91 राज. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट)

उपस्थिति : श्री सांवल राम मीना, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक: 13.04.2026

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का पीलोडी द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि अपीलान्ट ने ग्राम निकटपुरी तहसील सिकराय में स्थित राजकीय भूमि आराजी खसरा नंबर 438 रकबा 1.40 है0, खसरा नं. 439 रकबा 0.50 है0 किस्म चारागाह भूमि पर संवत 2081 में काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल किये जाने एवं लगान दर 26.6 का 50 गुणा शास्ति 1330/– आरोपित कर वसूली किये जाने का निर्णय दिनांक 02.12.2024 को पारित फरमाया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्व एवं न्याय की सामान्य प्रक्रियाओं के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सही प्रकार से विवेचन नहीं करके तथा प्रथमदृष्टया अपीलान्ट के विरूद्व किसी भी प्रकार के जुर्म की कोई साक्ष्य नहीं होने के बावजूद भी अपीलान्ट को दोषी मानते हुये दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर बिना किसी प्रकार का विवेचन किये ही निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह का अवसर भी नहीं दिया गया है। अपीलान्ट ने किसी भी राजकी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है।

अति. जिला कलक्टर
दौसा

Scanned with OKEN Scanner

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.12.2024 निरस्त फरमावें।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलाण्ट अतिक्रमी द्वारा ग्राम निकटपुरी तहसील सिकराय में स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 438 रकबा 1.40 है0 पर पक्का निर्माण चारदीवारी मय मन्दिर एवं खसरा नं. 439 रकबा 0.50 है0 पर चारदीवारी बनाकर कब्जा करने पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकराय द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिकमी को अतिकमित आराजी से बेदखल किये जाने के आदेश दिनांक 02.12.2024 पारित किये गये है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान यह भी अवगत कराया गया है कि अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण नायब तहसीलदार सिकराय को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकराय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.12.2024 निरस्त किया जाकर प्रकरण नायब तहसीलदार सिकराय को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिया जाकर विधिक प्रकिया पालन करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

13/4/26

(अरविन्द शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 13.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

13/4/26

(अरविन्द शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

Scanned with OKEN Scanner